

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

रिट - सी संख्या - 2958 वर्ष 2026

श्रीमती गीता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (राजस्व), लखनऊ और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : रीपेंद्र गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

2. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दाखिल एक रिट याचिका है, जिसमें याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 28 फरवरी, 2026 को पारित एक आदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत अपने दावे को खारिज किए जाने से व्यथित है, इस दावे को इस आधार पर खारिज किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 445 दिनों की अवधि बीत जाने के पश्चात विलंब से अपना दावा प्रस्तुत किया था।
3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती सर्वेश देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य** (रिट-सी संख्या 27527 वर्ष 2023) के प्रकरण में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया है।
4. उक्त निर्णय में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्रकरण की सुनवाई की थी और **गौतम यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य 2020 (11) एडीजे 321** के निर्णय पर विचार करने के पश्चात यह दोहराया था कि उक्त योजना के अंतर्गत तय की गई परिसीमा अनुचित और मनमानी है, और यह अवधि 75 दिनों के बजाय तीन वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह योजना निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 75 दिनों के भीतर आवेदन न करने पर किसी भी तरह के परिणाम का प्रावधान नहीं करती है।
5. हमारी राय में चूंकि उपरोक्त योजना एक लाभकारी विधि है, इसलिए दावा करने की समय-सीमा उचित होनी चाहिए, और यदि याचिकाकर्ता उक्त दावा दाखिल करने में हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण बताता है, तो विधि के अनुसार उस पर विचार किया जाना आवश्यक है।
6. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने हमारे समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया है, जो **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम गौतम यादव और अन्य** विशेष अपील अनुज्ञा याचिका संख्या 7647 वर्ष 2021 के प्रकरण से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अपील अनुज्ञा याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए हैं:-

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

इस न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को 5 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है और ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया है।

नोटिस जारी किया जाए, जो छह सप्ताह में वापसी योग्य हो।

यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या 1 को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर भी उसे उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

इस बीच आक्षेपित आदेश में दिए गए उस निर्देश पर रोक रहेगी, जिसमें यह कहा गया था कि अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए सभी दावों को परिसीमा के भीतर माना जाना चाहिए।”

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपरोक्त) के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा पारित संपूर्ण आदेश पर रोक नहीं लगाई है, अपितु मात्र उस निर्देश पर रोक लगाई है जिसके अनुसार अस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दाखिल किए गए दावों को परिसीमा के भीतर माना जाना चाहिए।

8. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गौतम यादव** (उपर्युक्त) के प्रकरण में परिसीमा अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाने संबंधी निर्देश पर रोक लगा दी है, अतः अब प्रत्येक प्रकरण की जाँच उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर करनी होगी, और यह निर्धारित करना होगा कि उक्त दावा प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु कोई पर्याप्त कारण मौजूद था या नहीं।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

9. हमारी राय में प्रत्यर्थी ने उक्त आवेदन को दाखिल करने में हुए विलम्ब के कारणों के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार नहीं किया है, और मात्र इस आधार पर आदेश पारित कर दिया है कि दावा विलंब से दाखिल किया गया था।

10. तदनुसार, आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है, और प्रत्यर्थी प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करे, और उसके पश्चात आज की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करे।

11. उपर्युक्त निर्देशों के साथ रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

30 मार्च 2026

सीएसके/-

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ)

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”